न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18 / 155

रघुनाथ मेघवाल आयु 55 साल आत्मज श्री गोपाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम जखाना हाल निवासी ग्राम हांडियाखेडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती कस्तूरी बाई पत्नी गोपाल पुत्री औंकार जाति मेघवाल निवासी ग्राम हांडियाखेडा कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. धनराज आत्मज कस्तूरचन्द जाति मेघवाल निवासी ग्राम हांडयाखेडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री ओम प्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

दिनांक: 04.03.2020

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.01.2018 06.02.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हांडयाखेडा तहसील के0 पाटन में खतौनी नयी 231 पुरानी 222 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 748 रकबा 1.70 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में जमना वल्द औंकार कौम मेघवाल के खाते में दर्ज है । खातेदार जमना प्रतिवादी कम 01 का सगा भाई है तथा वादी के पारिवारिक सदस्य हैं । प्रतिवादी कम 01 वादी की माता है । उक्त

भूमि जमना वल्द औंकार को सीलिंग में आवंटित हुई थी । पूर्व खातेदार जमना जी का देहान्त दिनांक 16.05.1988 को हो गया है । जमना जी के कोई औलाद नहीं थी जमना के एकमात्र वारिस प्रतिवादी कम 01 कस्तूरी बाई है जो वादी की माता है । प्रतिवादी कम 01 महिला होने से वादी ही उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त है । वादी का उक्त भूमि पर पिछले 26 वर्षों से निरन्तर कब्जा काश्त होने से वे उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर कानूनन खातेदार कृषक हो गये हैं । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी को कब्जा मुखालफाना के आधार पर अपने नाम खातेदारी में दर्ज करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी पर वादी को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किया जावे । राजस्व रिकॉर्ड से जमना वल्द औंकार का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादी का नाम तन्हा खातेदार के रूप में अंकित किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 03 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश कर कथन किया कि वादी ने वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी में खातेदार बताकर वाद पेश किया है तथा वादी अपने आपको कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाते हुए राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाना चाहते हैं जो विधि–विरूद्ध है । प्रतिवादी कम 01 द्वारा एक वादपत्र ए0डी0एम0 बून्दी के यहॉ कस्तूरीबाई बनाम धनराज पेश किया जो खारिज हो चुका है जो इसी वादपत्र की चरण संख्या 01 से सम्बन्धित है तथा एक वाद पूर्व में न्यायालय में कस्तूरी बनाम कस्तूरा प्रकरण संख्या 174/दावा/108 दिनांक 26.03.2014 को प्रतिवादी कम 01 विड्रो कर चुकी है जो पूर्व न्याय के विपरीत है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.01.2018 के द्वारा प्रतिवादी कम 03 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.01.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट कम 01 का पुत्र है तथा उनका उक्त भूमि पिछले 30 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है । जमना जी की सन् 1988 में मृत्यु हो चुकी है जिसकी एक फर्जी वसीयत रेस्पोडेन्ट कम 03 द्वारा कूटरचित, फर्जी बनावटी तरीके से बनाकर रेस्पोडेन्ट कम 02 से मिली भगत करके विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट कम 03 का कब्जा नहीं होते हुए भी इंतकाल दर्ज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है जो निर्विवाद है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.01.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादी के द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर कथन किया कि कृषि आराजी खसरा नम्बर 748 रकबा 1.70 हैक्टर वाके ग्राम हांडयाखेडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में स्थित है । उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में जमना लाल वल्द औंकार कौम मेघवाल के खाते में दर्ज है जो रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का सगा भाई है तथा रेस्पेडेन्ट क्रम 1 अपीलान्ट की माता है तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व वादी दोनों ही आपसी सहमति से उक्त आराजी पर काबिज काश्त हैं । स्वर्गीय जमना जी के कोई औलाद नहीं थी उनकी एक मात्र वारिस कस्तूरी बाई है । अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का पुत्र होने से उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का स्वीकार किया और बनावटी वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट क्रम 3 को पक्षकार बनाया गया । उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया जिसको त्रुटिपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया । वसीयत कूट रचित है रेस्पोडेन्ट क्रम 02 के द्वारा कब्जा नहीं होते हुए भी रेस्पोडेन्ट क्रम 03 के पक्ष में इंतकाल खोला है जिसकी अपील विचाराधीन है। दावे में जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.01.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जिमसें प्रतिवादी क्रम 03 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश किया और यह कथन किया है कि कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा एक दावा एडीएम बून्दी के यहॉ कस्तूरी बाई बनाम धनराज पेश किया था जो खारिज किया जा चुका है । एक वाद पूर्व में कस्तूरी बनाम कस्तूरा दिनांक 26.03.2014 को प्रतिवादी क्रम 01 विड्रो कर चुकी हैं । अब नया दावा नहीं चल सकता, पूर्व न्याय का सिद्धान्त है । अतः दावा खारिज किया जावे ।

10. प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत धनराज के द्वारा पेश किया गया है और यह कथन किया है कि वादी ने कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी चाही है जो नहीं दी जा सकती । प्रार्थना पत्र में इसके अलावा भी एडीएम बून्दी के निर्णय और कस्तूरी बनाम कस्तूरा के प्रकरण का भी हवाला दिया गया है परन्तु आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निरस्तारण करते समय इन दोनों प्रकरणों का अवलोकन नहीं किया जा सकता । वादी के द्वारा जो दावा पेश किया गया है उसमें यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार जमना प्रतिवादी क्रम 01 का सगा भाई है । प्रतिवादी क्रम 01 उनकी माता है । जमना का देहान्त हो चुका है जमना की एक मात्र वारिस प्रतिवादी क्रम 01 कस्तूरी बाई है जो कि वादी की माता है और वादग्रस्त आराजी परं जमना की मृत्यु सन् 1988 में होने के उपरान्त वो निरन्तर काबिज काश्त रहे हैं । इस कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं ।

11. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी की माता अभी जीवित है यदि वादी की माता स्वयं को जमना का वारिस मानती है तो वह हक घोषणा का दावा पेश कर सकती है । वादी के द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषणा की प्रार्थना के साथ दावा पेश किया गया है और अपनी माता को भी प्रतिवादी बनाया है । माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । तद्नुसार दावा वादी विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रतिवादी क्रम 03 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.01.2018 एवं डिक्री दिनांक 06.02.2018 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18 / 155

रघुनाथ मेघवाल आयु 55 साल आत्मज श्री गोपाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम जखाना हाल निवासी ग्राम हांडियाखेडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती कस्तूरी बाई पत्नी गोपाल पुत्री औंकार जाति मेघवाल निवासी ग्राम हांडियाखेडा कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. धनराज आत्मज कस्तूरचन्द जाति मेघवाल निवासी ग्राम हांडयाखेडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय दिनांक 23.01.2018 एवं डिक्री दिनांक 06.02.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 174 / दावा / 2014

रघुनाथ मेघवाल आयु 55 साल आत्मज श्री गोपाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम जखाना हाल निवासी ग्राम हांडियाखेडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. श्रीमती कस्तूरी बाई पत्नी गोपाल पुत्री औंकार जाति मेघवाल निवासी ग्राम हांडियाखेडा कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.01.2018 एवं डिक्री दिनांक 06.02.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 04.03.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री ओम प्रकाश प्रजापति अपीलान्ट की ओर से एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.01.2018 एवं डिक्री दिनांक 06.02.2018 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 04.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

4/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा